FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प घाणामगरा

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

संतोष राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–147/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.11.2021	प्रार्थी संतोष पुत्री चिमनाराम जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प घाणामगरा में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 205 रकबा 4.3767 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता चिमनाराम पुत्र भबूतराम जाट की थी। चिमनाराम का देहान्त 1998–1999 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या 423 दिनांक 09.10.2001 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम संतोष के बजाय बाया लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम संतोष है तथा सरकारी दस्तावेज भी संतोष के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में बाया पुत्री चिमनाराम के स्थान पर संतोष पुत्री चिमनाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी संतोष ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी संतोष का राशन कार्ड, जन आधारकार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह [illegible]रमाराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी घाणामगरा के [illegible]मबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उ[illegible] प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तह[illegible] बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कर[illegible] गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त ख[illegible]री भूमि में बाया लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:56 IST
Reason: SelfAttested

	रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम संतोष के बजाय बाया दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 4.3767 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में बाया पुत्री चिमनाराम के स्थान पर **संतोष पुत्री चिमनाराम** जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम घाणामगरा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व [illegible] इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 [illegible] दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कै[illegible]णामगरा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
संतोष पुत्री चिमनाराम जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 147 / 2021

निर्णय **दिनांक** :– 12.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पें"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 4.3767 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1. 1326 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 1.7879 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.2972 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में बाया पुत्री चिमनाराम के स्थान पर **संतोष पुत्री चिमनाराम** जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुत[illegible]		
			[illegible]लबा[illegible]		
मीजान			[illegible]		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा [illegible] चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:56 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:56 IST
Reason: SelfAttested